Ph: 0510-2471450
E-mail: conservatorjhansi@gmail.com

कार्यालय वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, बुन्देलखण्ड वृत्त, उ0प्र0 झांसी

पत्रांक– 4619 /33–1 /दिनांक, झांसी, मई 19 2017

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0 लखनऊ।

विषय– पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा 765 के0वी0 द्विपक्षीय लिलो ऑफ सतना ग्वालियर पारेषण लाईन के निर्माण में झांसी वन प्रभाग की 0.1742 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं 8 वृक्षों के पातन हेतु तथा उरई वन प्रभाग में 0.1144 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं 14 वृक्षों के पातन अर्थात कुल 0.2886 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वांनिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित कुल 22 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ– आपका कार्यालय पत्रांक 2023/11–सी–एफ0पी0/यू0पी0/ट्रान्स0/22022/2016 दिनांक 30.03.2017।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव जालौन वन प्रभाग उरई एवं झांसी वन प्रभाग का संदर्भित पत्र में दिये गये निर्देशानुसार आपत्तियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव समेकित कर ऑनलाईन इन्ट्री कर पुनः तीन प्रतियों में अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक– 1. प्रस्ताव तीन प्रतियों में सी0डी0 सहित।
2. उप वन संरक्षक जालौन एवं
प्रभागीय वनाधिकारी झांसी के पत्र की प्रति।

भवदीय

(अशोक कुमार)
वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
बुन्देलखण्ड वृत्त झॉसी

पृष्ठांकन संख्या– / समदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य वन संरक्षक बुन्देलखण्ड जोन उ0प्र0 झांसी।
2. उप वन संरक्षक जालौन सा0वा0 प्रभाग उरई ।
3. प्रभागीय वनाधिकारी झांसी।
4. मुख्य प्रबन्धक, पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इण्डिया लि0 हाऊस नम्बर–ए–13 बालाजी ग्रीन कालौनी फिल्टर मैन रोड बाहर दतिया गेट झांसी – 284001

(अशोक कुमार)
वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक
बुन्देलखण्ड वृत्त झॉसी

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी वन प्रभाग, झांसी

पत्रांक 3511 /15–1 दिनांक, झांसी, मई,- 9- 2017

सेवा मे,

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सा0वा0 बुन्देलखण्ड वृत्त,
उ0प्र0 झांसी।

विषय :- पावर ग्रिड कार्पोरेशन आफ इण्डिया लि0, झांसी द्वारा 765 के0वी0 द्विपक्षीय लिलो सतना–ग्वालियर विद्युत पारेषण लाईन के निर्माण में झांसी वन प्रभाग के संरक्षित वन भूमि एवं आठ (8) वृक्षों के पातन तथा उरई वन प्रभाग 0.1144 हे0 संरक्षित वन भूमि एवं बाधक 14 वृक्षों के पातन अर्थात कुल 0.2886 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस अवस्थित कुल 22 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ का पत्र सं0–2023/11सी–एफ0पी0/यू0पी0/ट्रान्स/22022/2016, दिनांक 30.03.2017 एवं आपका कार्यालय पत्र सं0–3494/33–1, दिनांक 31.03.2017। पावर ग्रिड का० ऑफ इण्डिया लि० का पत्र संख्या WR-DITLC/JHS/L dt. 08.05.17

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रश्नगत प्रस्ताव मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ ने अपने संदर्भित पत्र से लगाई आपत्तियों में बिन्दु सं0–1 से 10 तक इंगित कमियों के निराकरण के पश्चात पूर्ण प्रस्ताव आपके संदर्भित पत्र के क्रम में पूर्ण कर निम्न प्रकार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:–

पर्वेक्षण क्र0सं0	प्रश्न/आपत्ति	उत्तर/निराकरण के पश्चात अभिलेख भी संलग्न हैं
1	वन विभाग, उ0प्र0 शासन भारत सरकार द्वारा लगाई गयी मानक शर्तो के मान्य होने का प्रमाण पत्र संलग्न है, किन्तु पूर्ण 18 मानक शर्ते पूर्ण नहीं है, तथा प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित नहीं है।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 18 मानक शर्तो के मान्य होने का प्रभागीय वनाधिकारी, झांसी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र संलग्नक है।
2	प्रस्तावित वन भूमि पर प्रस्तावित पारेशण लाईन के नीचे बौने पौधे (मुख्यत:) औषधीये पौधे के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो का अनुरक्षण सहित विस्तृत प्राक्कलन संलग्न नहीं हैं।	प्रस्तावित वन भूमि पर प्रस्तावित पारेषण विद्युत लाईन के नीचे बौने पौधो (मुख्यता: औषधीये) का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो का अनुरक्षण सहित विस्तृत प्राक्कलन संलग्न है,
3	क्षतिपूरक वृक्षारोपण पर होने वाले व्यय वहन से सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र संलग्न नहीं हैं।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण व्यय वहन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित कर संलग्न हैं।
4	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का 1:50000 माप का रंगीन मानचित्र संलग्न हैं, किन्तु प्रभागीय वनाधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है तथा बिना लीजेन्ड अंकित किये है, अत्यन्त शूक्ष्म संलग्न किया गया है, जो स्वीकार नहीं हैं।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित स्थल का 1:5000 माप का पूर्ण रंगीन मानचित्र संलग्नक किया गया है, तथा लीजेन्ट अंकित कर दिया गया है, जो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित है।
5	प्रस्तावित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य जमा किये जाने की वचनबद्धता जो प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित हो, संलग्न नहीं हैं।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य जमा किये जाने की वचनबद्धता प्रमाण पत्र दिया गया जो पूर्व से प्रभागीय वनाधिकारी, द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित है।

6	भू–स्वामित्व वाले विभाग (लो0नि0) विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं हैं।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत विवरण संलग्न हैं।
7	प्रस्ताव में हार्ड कॉपी भाग–2 में हरियाली घनत्व ऑन लाइन भाग–2 के अनुसार अंकित नहीं हैं।	प्रस्ताव में हार्ड कापी भाग–2 में हरियाली घनत्व लॉन लाईन भाग–2 के अनुसार अंकित कर दिया गया हैं।
8	प्रस्तावित ऑन लाईन भाग–2 में District Profile हार्ड कॉपी भाग–2 के अनुसार नहीं है, डाटा त्रुटिपूर्ण फीड किया गया है।	District Profile में अंकित त्रुटि को ठीक कर दिया गया हैं।
9	प्रस्ताव के हिन्दी वर्जन भाग–1 संलग्न नहीं हैं।	प्रस्ताव में हिंन्दी वर्जन भाग–1 संलग्न कर दिया गया है।
10	आवश्यकता न होने कारण हार्ड कॉपी के पृष्ठ संख्या– को प्रस्ताव से पृथक करें	उक्त को प्रस्ताव से प्रथक कर दिया गया हैं।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार मूल में 03 पत्रावलियां
पूर्ण कर मय् सी0डी0 सहित।

भवदीय

(डॉ0 मनोज कुमार शुक्ला)
प्रभागीय वनाधिकारी
झांसी वन प्रभाग, झांसी

पृष्ठांकन संख्या /अ/समदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपरोक्त सम्बन्ध में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ को उनके कार्यालय पत्र सं0–2023/11सी–एफ0पी0/ट्रान्स/22022/2016, दिनांक 30.03.2017।
2. मुख्य प्रबन्धक पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि0 झांसी।
3. उप वन संरक्षक, सा0वा0 वन प्रभाग उरई (जालौन)।

(डॉ0 मनोज कुमार शुक्ला)
प्रभागीय वनाधिकारी
झांसी वन प्रभाग, झांसी

/ कार्यालय उप वन संरक्षक, जालौन सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, उरई।

पत्रांक – 3056 / 33-1 / उरई, दिनांक मई 11 2017।

सेवा में,

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
बुन्देलखण्ड वृत्त उ0प्र0 झांसी।

विषयः– **लीलो ऑफ 765 के0वी0 सतना–ग्वालियर ट्रासमिशन लाइन (एट–कोटरा रोड के कि0मी0 1 से कि0मी0 2) के निर्माण में प्रस्तावित संरक्षित वनभूमि 0.1144 हे0 एवं मार्ग पटरियों पर खडे प्रभावित 14 वृक्षों की वन (संरक्षण) अधि0 1980 के अन्तर्गत अनुमति/स्वीकृति के संबन्ध में।**

संदर्भ :– मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ का कार्यालय पत्रांक 2023/11–सी–FP/Trans/22022/2016 दिनांक 30.03.2017।

महोदय,

उक्त विषयक एवं संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्ताव की कमियों/अभिलेखों का विन्दुवार निस्तारण निम्नानुसार किया जा रहा है तथा वांछित संशोधित अभिलेख आनलाइन कर दिये गये हैः–

1. भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट पर तिथि अंकित कर दी गयी है।
2. वन विभाग उ0प्र0 शासन भारत सरकार द्वारा लगाई गयी मानक शर्तों के मान्य होने के प्रमाणपत्र में 18 मानक शर्ते अंकित कर दी गयी है। एवं अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर दिया गया है।
3. क्षतिपूरक वृक्षारोपण का संशोधित प्राक्कलन आनलाईन अपलोड कर दिया गया है।
4. प्रस्तावित वन भूमि पर प्रस्तावित पारेषण लाईन के नीचे बौने पौधों(मुख्यतः औषधीय) के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो का अनुरक्षण सहित विस्तृत प्राक्लन संलग्न कर दिया गया है।
5. पृष्ठ 37 पर उपयुक्तता प्रमाण को हटा दिया गया है।
6. लो0नि0वि0 की भूमि का उपयोग नही किया जा रहा है इसलिये अनापत्ति प्रमाणपत्र की आवश्यकता नही है।
7. वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी के प्रमाण पत्र में मोहर व पत्रांक अंकित कर दिया गया है।
8. गजट नोटिफिकेशन की प्रतियों को चिन्हित एवं प्रमाणित कर दिया गया है।
9. प्रतिहस्ताक्षरित कर संलग्न कर दी गयी है।

10. प्रस्ताव के भाग – 1 में परियोजना की लागत अंकित कर दी गयी है।

11. प्रस्ताव के भाग – 2 में प्रस्तावित वन भूमि के विवरण में त्रुटि संशोधित कर दी गयी है।

12. प्रस्ताव के भाग – 2 में प्रस्तावित वन भूमि के विवरण में त्रुटि संशोधित कर दी गयी है।

13. हार्डकापी के पृष्ठ सं0 51, 59 व 60 पर संलग्न प्रमाण पत्र पृथक कर दी गयी है।

14. अनावश्यक प्रमाणपत्रों को प्रस्ताव से पृथक कर दिया गया है।

15. वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक झांसी स्तर पर प्रस्ताव को समेकित करने की कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्त कमियों का निराकरण कर पुनः प्रस्ताव चार–चार प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(बी0आर0 अहिरवार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
जालौन सा0वा0, वन प्रभाग उरई।

पृ0सं0– / समदिनांक।

प्रतिलिपि– मुख्य प्रवंधक पावर ग्रिड झांसी को इस आशय से प्रेषित कि प्रस्ताव की चारों प्रतियां लेकर सम्बन्धित को वन संरक्षक वुन्देलखण्ड वृत्त झांसी के कार्यालय से सम्पर्क कर अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

(बी0आर0 अहिरवार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
जालौन सा0वा0, वन प्रभाग उरई।